दिनांक 22-3-2018

पत्रावली पेश हुई। बकुलाव उप पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अवलोकन व उभय पक्ष बकुलाव की बहस पर मनन के पश्चात प्रा पत्र धारा 22 राजस्व T.I. रेमारिज किया जाकर निरस्त आदेश पृथक से लिखाया जाए। जो मुआमिले फैसल हो। फैसल फैसल शुमार होकर मूल रा.मा. पत्रावली के सलंग्न होकर नंबर से कमहो।

उप - खण्ड अधिकारी, बाली

Scanned by CamScanner